

विनियोग संख्या 64 – भारत का उच्चतम न्यायालय
APPROPRIATION No. 64 - SUPREME COURT OF INDIA

			कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
प्रभारित- मूल	Charged- Original	111,75,00	121,25,00	116,73,28	-4,51,72
पूरक	Supplementary	9,50,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,31,72

टीका और टिप्पणियां

1. विनियोग में, कुल बचतें (₹451.72 लाख) दिसम्बर, 2012 में प्राप्त किए गए ₹950.00 लाख के पूरक विनियोग का 48 प्रतिशत और कुल स्वीकृत विनियोग का 4 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the appropriation, the overall savings (₹451.72 lakhs) constituted 48 percent of the supplementary appropriation of ₹950.00 lakhs obtained in December, 2012 and 4 percent of the total sanctioned appropriation.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	11175.00	11793.28	11673.28	- 120.00
पू.	S.	950.00			
पू.	R.	- 331.72			

(I) "उच्चतम न्यायालय - स्थापना" के अंतर्गत ₹11175.00 लाख के मूल विनियोग को ₹950.00 लाख का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर ₹12125.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को भरे न जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण ₹451.72 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Supreme Court – Establishment" – the original appropriation of ₹11175.00 lakhs was augmented to ₹12125.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of ₹950.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹451.72 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and economy measures.